द्वारा डाक से

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।

लॉजिस्टिक्स,इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ।

पत्र संख्या लॉजि0–एम0टी0–5/2025(ग्री0का0स्था0) दिनांक जनवरी 20 ,2025

सेवा में,

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे अनुभाग उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षो की भॉति इस वर्ष **ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण व्यवस्था–2025** के अन्तर्गत जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं कमिश्नरेट जनपदों के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले **परिवहन शाखा के मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन, मुख्य आरक्षी चालक एवं आरक्षी चालको** के प्रशासनिक आधार पर, समयावधि पूर्ण करने वाले एवं अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु हस्ताक्षरयुक्त सूचनायें निर्धारित प्रारूप में **दिनांक 31–03–2025** तक प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स इकाई को जरिये विशेषवाहक साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी में अपनी स्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित **'लाजिस्टिक्स स्थापना बोर्ड'** के विचारार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित कर्मी की **नियुक्ति अवधि की गणना** Cut of Date 30.04.2025 नियत की गयी है।

2. उपरोक्त सूचनाओं को लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर पूर्ण कर ली जाय :–

(1) परिक्षेत्रीय प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही **दिनांक 20–03–2025 तक** पूर्ण कर ली जायेगी तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से वॉछित स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूची जोनल कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही **दिनांक 25–03–2025** तक पूर्ण कर लेंगे।

(3) लॉजिस्टिक्स इकाई से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित/समेकित सूची/विवरण **दिनांक 31–03–2025 तक लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ** को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा।

(4) स्थानान्तरण से सम्बन्धित सन्दर्भो का परीक्षण शासनादेश संख्या 5001/आठ–1–86 दिनांक 11–07–1986, शासनादेश संख्या 1039/6–पु0–1–14–81/2001 दिनांक 07–06–2014, शासनादेश संख्या 1091/6–पु–1–15–81/2001 दिनांक 24–07–2015 व मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पत्र दिनांकित 22–06–2017 में निहित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(5) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाय जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये है।

(6) प्रत्येक जनपद/कार्यालय का पदवार नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी उपर्युक्त सूचना के साथ संलग्न किया जाय।

(7) लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिनांक 10—04—2025 तक पूर्ण कर ली जायेगी। अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक 31—03—2025 तक अवश्यमेव पूर्ण कर ली जाय।

(8) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को **दिनांक 31—05—2025** तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाय। यह सुनिशिचित कर लिया जाय कि **दिनांक 31—05—2025 के** उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहें।

(1) **अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण**

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों के प्रार्थना पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर कराया जायेगा, जिनमें अंकित तथ्य सत्य पाये जाने तथा स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना—पत्र एवं पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित **प्रारूप—'ए'** में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जायेगा। इस सूचनाओं एवं आवेदनों का परीक्षण परिक्षेत्र/जोन स्तर पर किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण ही लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किये जायेगें :—

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद की दूरी सामान्यतः अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो तो उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(2) **निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण**

कमिश्नरेट/जनपद/इकाई से सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु *Cut of Date* 30.04.2025 नियत की गयी है। परिवहन शाखा के लिए निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् है:—

क्र.सं	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद/इकाई में	एक परिक्षेत्र में
1	मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन	05 वर्ष	—
2	मुख्य आरक्षी चालक	10 वर्ष	—
3	आरक्षी चालक	15 वर्ष	—

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले कर्मियों का विवरण अलग—अलग पदवार **निर्धारित प्रारूप—'बी'** में हार्डकापी एवं साफ्टकापी में सी0डी0 सहित जनपदों द्वारा परिक्षेत्र/जोनल प्रभारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

(3) **प्रशासनिक एवं जनहित में निम्न कारणों से स्थानान्तरण की संस्तुति की जा सकती है :–**

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–चार–स्था0(निर्देश)/2017 दिनांक 22–06–2017 के शीर्षक प्रशासनिक स्थानान्तरण के बिन्दु संख्या 01 से 06 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(4) **ऐसे कर्मी जो विगत वर्षो में स्थानान्तरणाधीन है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं हो सके है,** को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए उनकी सूचना **प्रारूप–डी** में संलग्न की जाए। साथ ही ऐसे कर्मी जिनके नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी है, उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंकन किया जाय।

(5) माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए स्थगन सम्बन्धी माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न की जाय तथा प्रकरण में अबतक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाय।

सामान्य निर्देश

1. इस पत्र के साथ 06 प्रारूप संलग्न किये जा रहे है :–
   (1) **प्रारूप–ए** अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले।
   (2) **प्रारूप–बी** निर्धारित समयावधि।
   (3) **प्रारूप–सी** प्रशासनिक एवं जनहित।
   (4) **प्रारूप–डी** पूर्व से स्थानान्तरणाधीन कर्मियों का विवरण।
   (5) **प्रारूप–ई** पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता एवं रिक्ति का विवरण।
   (6) **प्रारूप–एफ** मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन का अलग एवं मुख्य आरक्षी चालक व आरक्षी चालक का संयुक्त नामिनल रोल।
2. प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार–प्रसार न होने के कारण ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस कर्मी प्रार्थना पत्र लेकर सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में उपस्थित होते है। इससे मुख्यालय स्तर पर राजकीय कार्य बाधित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मी अपना आवेदन समय से कर सकें तथा कोई भी कर्मी स्थानान्तरण के लिए सीधे इस इकाई में प्रस्तुत नहीं होगा।
3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मी पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।
4. सम्बन्धित कर्मी के प्रार्थना पत्र को क्रमांकित किया जाय तथा क्रमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाय।

5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अ0शा0पत्रांक आठ/2008 दिनांक 29-01-2018 के अनुसार सभी कर्मियों का पर्सनल नं0 (पीएनओ नम्बर) अंकित किया जाय। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ आधारित नामिनल रोल डाटा बेस ऑन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियॉ एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जाये। यदि कोई कर्मी पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवा विवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।

7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मी की वास्तविक समस्या के समाधान हेतु यथा सम्भव सहानुभूतिपूर्वक उनके प्रकरण पर विचार किया जाय, ताकि वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। **'लॉजिस्टिक्स स्थापना बोर्ड'** प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवशकयता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

8. ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल शीट (Microsoft Excel Sheet) में Kruti Dev 010 में तैयार कर प्रेषित की जाय, जिसमें यह ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक कर्मी का विवरण एक Cell/Row में ही भरा जाय, कोई Cell Merge कदापि न किया जाय।

9. उक्त परिपत्र की प्रति एवं सभी प्रारूप (06 अदद) इस कार्यालय के बेवसाइट uppolice-police-units-logistics-cicular पर प्रकाशित किया गया है, जहॉ से डाउनलोड किया जा सकता है।

10. सभी सूचनायें प्रिन्ट आउट के साथ सी0डी0 के माध्यम से तथा लॉजिस्टिकस इकाई की ई-मेल logisticoffice4@gmail.com पर भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नकः 06 अदद प्रारूप।

(राजकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक,लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों में नियुक्त कर्मियों के कार्यकाल की गणना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-चार-स्था0-निर्देश-2017 दिनांक 22.06.2017 के शीर्षक कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक में निहित प्राविधानों के अनुसार परीक्षण कराकर अपने स्तर से समायोजित करने तथा जिन कर्मियों का समायोजन इनके अधीनस्थ इकाईयों में संभव न हो शेष सम्बन्धित कर्मियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग तैयार कराकर हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी सी0डी0 सहित **दिनांक 31-03-2025** तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें:-

1. पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) रेडियो मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

3. अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक के जीएसओ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, रूल्स एण्ड मैनुअल उ0प्र0 लखनऊ।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
13. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
14. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
15. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच उ0प्र0 लखनऊ।
16. अपर पुलस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ।
17. अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
18. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
19. अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ।
20. अपर पुलिस महानिदेशक, एसआईटी उ0प्र0 लखनऊ।
21. अपर पुलिस महानिदेशक, एटीएस उ0प्र0 लखनऊ।
22. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी एसएसएफ मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
23. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी–112 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
24. अपर पुलिस महानिदेशक, वूमेन पावर लाइन 1090 उ0प्र0 लखनऊ।
25. अपर पुलिस महानिदेशक, सर्तकता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।
26. अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद।
27. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0 मुरादाबाद।
28. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0एस0 मुरादाबाद
29. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0 सीतापुर।
30. अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।
31. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0एस0 सुल्तानपुर।
32. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0एस0 जालौन।
33. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0 उन्नाव।
34. पुलिस महानिरीक्षक, पी0टी0एस0 मेरठ।
35. पुलिस महानिरीक्षक, ए0पी0टी0सी0 चुनार मीरजापुर।
36. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर।
37. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
38. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ।
39. सेनानायक, एसडीआरएफ उ0प्र0 लखनऊ।
40. पुलिस अधीक्षक, एससीआरबी लखनऊ।
41. पुलिस अधीक्षक, फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो लखनऊ।
42. राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी सीतापुर।
43. अपर पुलिस अधीक्षक,केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर।

प्रारूप 'ए'

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों का विवरण।

क.सं.	पदनाम	पीएनओ नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेंणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति का जनपद/इकाई	वर्तमान जनपद/इकाई में नियुक्ति की तिथि	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले जनपद/इकाई का नाम			दो वर्ष पूर्व प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित हुआ हो तो उसका विवरण	यदि कर्मी स्थानान्तरणधीन है तो उसका विवरण
										जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक			प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	तृतीय वरीयता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

नोटः– समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट (Kruti Dev 010) में तैयार की जायें, कोई कालम मर्ज न किये जायें, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाये व समस्त तिथियॉं DD/MM/YY में अंकित की जाये।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर

प्रारूप 'बी'

निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का विवरण

क.सं	पदनाम	पीएनओ नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति का जनपद/इकाई	वर्तमान जनपद /इकाई में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्मी द्वारा आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसमें वर्णित विकल्प	यदि कर्मी स्थानान्तरणधीन है तो उसका विवरण
										जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोटः– समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट (Kruti Dev 010) में तैयार की जायें, कोई कालम मर्ज न किये जायें, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाये व समस्त तिथियॉ DD/MM/YY में अंकित की जाये।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर

प्रारूप 'सी'

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों का विवरण

क.सं.	पदनाम	पीएनओ नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेंणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति का जनपद / इकाई	वर्तमान जनपद / इकाई में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्मी का नाम किसी अन्य सूची में सम्मिलित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख	प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण /संस्तुति अंकित की जाये	यदि कर्मी स्थानान्तरणधीन है तो उसका विवरण	अभ्युक्ति
										जनपद / इकाई का नाम	कब से	कब तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

नोटः– समस्त सूचनायें माइकोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट (Kruti Dev 010) में तैयार की जायें, कोई कालम मर्ज न किये जायें, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाये व समस्त तिथियॉं DD/MM/YY में अंकित की जाये।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर

प्रारूप 'डी'

स्थानान्तणाधीन पुलिस कर्मियों का विवरण, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया।

क.सं.	पदनाम	पीएनओ नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति जनपद का नाम/इकाई	आदेश संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा स्थानान्तरण किया गया है।	कहॉ से	कहॉ को	कार्यमुक्त न किये जाने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर

प्रारूप 'ई'

स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं अधिकता का विवरण

क.सं.	जनपद/इकाई का नाम	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अधिकता	अनुकम्पा के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	निर्धारित अवधि के आधार प्रेषित नामांकन की संख्या	प्रशासनिक आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर

प्रारूप 'एफ'

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन एवं मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक का नामिनल रोल

क.सं.	जनपद/इकाई का नाम	पदनाम	पीएनओ नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर पदोन्नित की तिथि	गृह जनपद	जाति/श्रेणी	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान जनपद/इकाई में नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
											जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोटः— समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट (**Kruti Dev 010**) में तैयार की जायें, कोई कालम मर्ज न किये जायें, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाये व समस्त तिथियॉ **DD/MM/YY** में अंकित की जाये।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर